डब्ल्यू-11042/16/2015-जल-II

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23.02.2015

सेवा में,
प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के प्रभारी।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल पायलट परियोजनाओं (एनआरडीडब्ल्यूपीपी) के अंतर्गत सभी पाइलेट ब्लाकों के लिए ग्रामीण जल सुरक्षा योजना का पूरा किया जाना तथा उसका कार्यान्वयन।

संदर्भ: 1. दिनांक 23.01.2015 को नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त।

प्रिय श्री,

जैसा कि आप जानते हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय आपके राज्य सहित विभिन्न राज्यों में अत्यधिक-दोहित ब्लाकों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है।

राज्यों को दिसम्बर 2014 तथा संपूर्ण पायलट ब्लाक के किए ग्रामीण जल सुरक्षा योजना तैयार कर लेना था। तथापि, यह पाया गया है कि सभी राज्यों ने संपूर्ण ब्लॉक के लिए वीडब्ल्यूएसपी पूरी तरह तैयार नहीं किया है।

प्रत्येक राज्य की संबंधित एसएलएसएससी में योजना की तैयारी तथा अनुमोदन की वर्तमान स्थिति तथा उसे पूरा करने की निश्चित समय सीमा निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	जिला/ब्लॉक	वीडब्ल्यूएसपी की तैयारी तथा उसे पूर्ण किए जाने की स्थिति (%)	पूर्ण किए जाने की समय-सीमा
1.	कर्नाटक	कोलर/मुलबगल	100%	पूर्ण
2.	तमिलनाडु	धर्मापुरी/मोरप्पुर	100%	पूर्ण
3.	उत्तर प्रदेश	झाँसी /मौरानीपुर	100%	पूर्ण
4.	मध्य प्रदेश	सतना/रामपुर	100%	28.02.2015
5.	तेलंगाना	नालगौंडा/मूथे	100%	पूर्ण
6.	उत्तर प्रदेश	आगरा/बरौली अहीर	75%	28.02.2015
7.	मध्य प्रदेश	रतलाम/पिपलौडा	70%	28.02.2015
8.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर/गोरनताला	60%	15.03.2015
9.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर/पाइलर	60%	15.03.2015
10.	राजस्थान	भीलवाडा/रायपुर	50%	15.03.2015
11.	हरियाणा	कैथल/कैथल	40%	28.02.2015
12.	पंजाब	संगरूर/धूरी	35%	30.6.2015
13.	महाराष्ट्रा	अमरावती/वरूड	अनुपस्थित	अनपस्थित
14.	महाराष्ट्रा	अमरावती मोरशी	अनुपस्थित	अनुपस्थित
15.	गुजरात	मेहसाना/खेरालू	अनुपस्थित	अनुपस्थित

अत: अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर पहचाने गए ब्लाकों के लिए योजना की तैयारी पूरा करने के लिए मुख्य अभियंता, राज्य नोडल अधिकारी, कार्यकारी अभियंताओं तथा सहायक संगठनों को निर्देश दें और अपने राज्य के संबंधित एसएलएसएससी से अनुमोदन लें।

यह भी अनुरोध है कि इस मंत्रालय को यथाशीघ्र संपूर्ण पायलट ब्लाक की जल सुरक्षा योजना भेजें (जिन राज्यों ने ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों के लिए वीडब्ल्यूएसपी पूरी तरह से तैयार कर ली है उनके लिए)

भवदीय

(दिनेश चन्द)
अतिरिक्त सलाहकार (पीएचई)

प्रति

1. 10 राज्यों में चुने गए जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
2. सभी 11 राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी मुख्य अभियंता/चीफ इंजीनियर।
3. राज्य नोडल अधिकारी, पाइलेट परियोजनाएँ
4. सभी 11 राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी कार्यकारी अभियंता।
5. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) वैबसाइट पर डालन हेतु।